प्रेस नोट
दिनांक 22.08.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार.–

कार्यवाही:–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–527/24, धारा 137 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिवम शर्मा उर्फ सोमू शर्मा पुत्र चन्दन शर्मा नि0 पटेल नगर बम भोले मंन्दिर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को जय नारायण चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.07.2024 को थाना को0 नगर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को विपक्षी शिवम शर्मा द्वारा शादी का झांसा देकर बहला–फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 राकेश कुमार को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 22.08.2024 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त शिवम शर्मा उर्फ सोमू शर्मा को जयनरायण चौराहे के पास से कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. शिवम शर्मा उर्फ सोमू शर्मा पुत्र चन्दन शर्मा नि0 पटेल नगर बम भोले मंन्दिर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–527/24, धारा 137,87,64ड बीएनएस व 3/4 पाक्सो ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 राकेश कुमार।
02. उ0नि0 अविनाश सिंह।
03. का0 राहुल वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 22.08.2024</u>

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल चाकू बरामद–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0–251/24, धारा 103(1),109 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त महेन्द्र नाथ उर्फ रामू पुत्र केशव प्रसाद नि0 ग्राम घोसे तिवारी पुरवा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को कटरा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर उसके निशादेही से घटना में प्रयुक्त चाकू (आलाकत्ल) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.07.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम घोसे तिवारी पुरवा नवाबगंज गिर्द के रहने वाले दो भाईयों के मध्य परिवारिक विवाद हो रहा था जिसमें अभियुक्त महेन्द्र नाथ उर्फ रामू द्वारा उग्र होकर अपने भाई (श्याम नरायन) व भाभी के ऊपर चाकू से हमलाकर घायल कर दिया। जिससे लालमती(भाभी) की मृत्यु हो गयी थी। वादी श्याम नरायन पुत्र केशव प्रसाद की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर प्र0नि0 नवाबगंज को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। आज दिनांक 22.08.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना कारित करने वाले हत्याभियुक्त महेन्द्र नाथ उर्फ रामू को कटरा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से घटना में प्रयुक्त चाकू (आलाकत्ल) बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. महेन्द्र नाथ उर्फ रामू पुत्र केशव प्रसाद नि0 ग्राम घोसे तिवारी पुरवा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–251/24, धारा 103(1),109 बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. घटना में प्रयुक्त चाकू (आलाकत्ल)

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. अति0 प्र0नि0 राधेश्याम यादव।
02. उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी।
03. उ0नि0 उमेश सिंह।
04. का0 अखिलेश यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>